सत्यमेव जयते

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY

रायबरेली और प्रतापगढ़ रोड के दूसरे मील पर स्थित सईं पुल, जिला- रायबरेली, उत्तर प्रदेश के लिए धरोहर उपविधि

Heritage Bye-Laws of Sai Bridge at second mile of the Raebareli and Pratapgarh Road, District-Raebareli, Uttar Pradesh

रायबरेली और प्रतापगढ़ रोड के दूसरे मील पर स्थित सईं पुल, जिला- रायबरेली, उत्तर प्रदेश के लिए धरोहर उपविधि

Heritage Bye-Laws of Sai Bridge at second mile of the Raebareli and Pratapgarh Road, District-Raebareli, Uttar Pradesh

विषय-सूची		
अध्याय I **प्रारंभिक**		
1.1	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	1
1.2	परिभाषाएं	2-4
अध्याय II **प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (एएमएएसआर) अधिनियम,1958 की पृष्ठभूमि**		
2.1	अधिनियम की पृष्ठभूमि	5
2.2	धरोहर उप-विधियों से संबंधित अधिनियम के उपबंध	5
2.3	आवेदक के अधिकार और जिम्मेदारियां	5-6
अध्याय III **संरक्षित संस्मारक- रायबरेली और प्रतापगढ़ रोड के दूसरे मील पर स्थित सईं पुल, जिला-रायबरेली, उत्तर प्रदेश" का स्थान और अवस्थिति**		
3.1	संस्मारक का स्थान एवं अवस्थिति	7
3.2	संस्मारक की संरक्षित सीमा	7
	3.2.1 एएसआई रिकॉर्ड के अनुसार अधिसूचना मानचित्र/योजना :	8
3.3	संस्मारक का इतिहास	8
3.4	संस्मारक का विवरण (वास्तुशिल्प विशेषताएं, तत्व, सामग्री आदि)	8
3.5	वर्तमान स्थिति	8
	3.5.1 संस्मारक की स्थिति- स्थिति का आकलन	8
	3.5.2 दैनिक आगंतुकों की संख्या और कभी-कभी एकत्रित होने वाले आगंतुकों की संख्या	9
अध्याय IV **स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं में विद्यमान क्षेत्रीकरण, यदि कोई हो**		
4.1	स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं में विद्यमान क्षेत्रीकरण (यदि कोई हो)	10
4.2	स्थानीय निकायों के मौजूदा दिशानिर्देश	10
अध्याय V **प्रथम अनुसूची एवं कुल स्टेशन सर्वेक्षण के अनुसार सूचना**		
5.1	संस्मारक की सर्वेक्षण योजना	11
5.2	सर्वेक्षित आंकड़ो का विश्लेषण	11
	5.2.1 प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र का विवरण	11
	5.2.2 निर्मित क्षेत्र का विवरण	11-12
	5.2.3 हरे/खुले स्थानों का विवरण	12
	5.2.4 परिसंचरण के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र - सड़कें, फुटपाथ, आदि	12
	5.2.5 भवन की मौजूदा ऊंचाई (क्षेत्रवार)	13

	5.2.6 राज्य संरक्षित संस्मारक और सूचीबद्ध धरोहर भवन	13
	5.2.7 सार्वजनिक सुविधाएं	13
	5.2.8 संस्मारक तक सुगमता	13
	5.2.9 अवसरंचना सेवाएं	13
	5.2.10 क्षेत्र का प्रस्तावित ज़ोनिंग	13
अध्याय VI संस्मारकों का वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व		
6.1	वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व	14
6.2	संस्मारक की संवेदनशीलता	14
6.3	संरक्षित संस्मारक या क्षेत्र से दृश्यता और विनियमित क्षेत्र से दृश्यता	14
6.4	पहचान किये जाने वाले भू-उपयोग	14
6.5	संरक्षित संस्मारक के अलावा अन्य पुरातात्विक धरोहर	14
6.6	सांस्कृतिक परिदृश्य	15
6.7	महत्वपूर्ण प्राकृतिक परिदृश्य	15
6.8	खुली जगह और निर्माण का उपयोग	15
6.9	पारंपरिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियां	15
6.10	संस्मारक और विनियमित क्षेत्रों से दृश्यमान क्षितिज	15
6.11	पारंपरिक वास्तुकला	15
6.12	स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा यथा उपलब्ध विकासात्मक योजना	15
6.13	अनुमेय भवन संबंधी मानदंड	15
	6.13.1 मरम्मत एवं नवीनीकरण	15-16
	6.13.2 पुनर्निर्माण	16
	6.13.3 नया निर्माण	16-18
6.14	आगंतुक सुविधाएं और सुख-सुविधाएं	18
अध्याय VII कार्य-स्थल विशिष्ट सिफ़ारिशें		
7.1	कार्य-स्थल विशिष्ट सिफ़ारिशें	19
7.2	अन्य सिफ़ारिशें	19

CONTENTS

CHAPTER I Preliminary		
1.1	Short title, Extent and Commencements	20
1.2	Definitions	20-22
CHAPTER II Background of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958		
2.1	Background of The Act	23
2.2	Provisions of the Act related to Heritage Bye-laws	23
2.3	Rights and Responsibilities of the Applicant	23-24
CHAPTER III Location and Setting of Protected Monument-Sai Bridge at second mile of the Raebareli and Pratapgarh Road, District-Raebareli, Uttar Pradesh		
3.1	Location and Setting of the Monument	25
3.2	Protected boundary of the Monument	25
	3.2.1 Notification Map/ Plan as per ASI records	26
3.3	History of the Monument	26
3.4	Description of the Monument (architectural features, elements, materials etc.)	26
3.5	Current Status	26
	3.5.1 Condition of the Monument - condition assessment	26
	3.5.2 Daily footfalls and occasional gathering numbers	26
CHAPTER IV Existing Zoning, if any, in the Local Area Development Plans		
4.1	Existing Zoning if any in the local area development plans	27
4.2	Existing Guidelines of the local bodies	27
CHAPTER V Information as per First Schedule and Total Station Survey		
5.1	Survey Plan	28
5.2	Analysis of surveyed data	28
	5.2.1 Prohibited Area and Regulated Area details	28
	5.2.2 Description of built up area	28
	5.2.3 Description of green/open spaces	29
	5.2.4 Area covered under circulation- roads, footpaths etc	29
	5.2.5 Existing heights of buildings (Zone wise)	29
	5.2.6 State protected monuments and listed Heritage Buildings	30
	5.2.7 Public Amenities	30
	5.2.8 Access to the Monument	30
	5.2.9 Infrastructure services	30
	5.2.10 Proposed zoning of the area	30

CHAPTER VI **Architectural, Historical and Archaeological Value of the Monuments**		
6.1	Architectural, historical and archaeological value	31
6.2	Sensitivity of the Monument	31
6.3	Visibility from the Protected Monument or area and visibility from Regulated Area	31
6.4	Land-use to be identified	31
6.5	Archaeological heritage remains other than the protected monument	31
6.6	Cultural landscapes	31
6.7	Significant natural landscapes	31
6.8	Usage of open space and constructions	32
6.9	Traditional, historical and cultural activities	32
6.10	Skyline as visible from the monument and from Regulated Areas	32
6.11	Traditional architecture	32
6.12	Developmental plan as available by the local authorities	32
6.13	Permissible Building related parameters	32
	6.13.1 Repair and Renovation	32
	6.13.2 Reconstruction	33
	6.13.3 New Construction	33-34
6.14	Visitors facilities and amenities	34
CHAPTER VII **Site Specific Recommendations**		
7.1	Site Specific Recommendations	35
7.2	Other Recommendations	35

ANNEXURES		
अनुलग्नक-I Annexure-I	रायबरेली और प्रतापगढ़ रोड- जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश के दूसरे मील पर स्थित सई पुल की सर्वेक्षण योजना Survey Plan of Sai Bridge at second mile of the Raebareli and Pratapgarh road- District-Raebareli, Uttar Pradesh	36
अनुलग्नक-II Annexure-II	रायबरेली और प्रतापगढ़ रोड- जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश के दूसरे मील पर स्थित सई पुल की अधिसूचना Notification of Sai Bridge at second mile of the Raebareli and Pratapgarh road- District-Raebareli, Uttar Pradesh	37-38
अनुलग्नक-III Annexure-III	रायबरेली और प्रतापगढ़ रोड जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश के दूसरे मील पर स्थित सई पुलका अभिलेखीय मानचित्र Archival Map Showing Sai Bridge at second mile of the Raebareli and Pratapgarh road- District-Raebareli, Uttar Pradesh	39
अनुलग्नक-IV Annexure-IV	रायबरेली मास्टर प्लान 2021 Raebareli Master Plan 2021	40
अनुलग्नक-V Annexure-V	संस्मारक और उसके आसपास के क्षेत्र के चित्र Images of the Monument ans its Surroundings	41-42

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (धरोहर उप-विधि विनिर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम 2011 के नियम (22) के साथ पठित प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20ङ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संरक्षित संस्मारक **"रायबरेली और प्रतापगढ़ रोड के दूसरे मील पर स्थित सईं पुल, जिला- रायबरेली, उत्तर प्रदेश के लिए धरोहर उपविधि"** के लिए निम्नलिखित धरोहर उप-विधि जिन्हें एमिटी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, एमिटी यूनिवर्सिटी लखनऊ, उत्तर प्रदेश के परामर्श से सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार किया गया है, को राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्य प्रणाली), नियम, 2011 के नियम 18 के उप नियम (2) द्वारा यथा अपेक्षित जनता से आपत्ति या सुझाव आमंत्रित करने के लिए एतद्वारा 01.12.2021 को प्रकाशित किया गया था।

यथा विनिर्दिष्ट दिनांक से पहले प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर सक्षम प्राधिकारी के परामर्श से राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण द्वारा विधिवत विचार किया गया है।

इसलिए, अब प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20ङ की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण, निम्नलिखित उप-विधि बनाता है, नामत:

"रायबरेली और प्रतापगढ़ रोड के दूसरे मील पर स्थित सईं पुल, जिला- रायबरेली, उत्तर प्रदेश के लिए धरोहर उपविधि"

अध्याय I
प्रारंभिक

1.1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ:-

(i) इन उप-विधियों को संरक्षित संस्मारक **"रायबरेली और प्रतापगढ़ रोड के दूसरे मील पर स्थित सईं पुल, जिला- रायबरेली, उत्तर प्रदेश** के लिए राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण धरोहर उप-विधि, 2024 कहा जाएगा।

(ii) ये संस्मारक के सम्पूर्ण प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र तक लागू होंगी।

(iii) इन उप-विधियों के प्रावधान किसी भी अन्य उप-विधि में निहित असंगतता के बावजूद प्रभावी होंगे, चाहे इन उप-विधियों के प्रारंभ होने से पहले या बाद में बनाए गए हों, या किसी उप-विधि के आधार पर प्रभावी होने वाले किसी भी दस्तावेज़ में हों। इन उप-विधियों को किसी अन्य उप-विधि के अनुरूप बनाने के लिए इनमें संशोधन करना अनिवार्य नहीं होगा।

(iv) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगी।

1.2 परिभाषाएं:-

(1) इन उप-विधियों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत दिए अनुसार परिभाषाएं सुविधा की दृष्टि से यहां पुन: लिखी गई हैं: -

(क) "प्राचीन संस्मारक" से कोई संरचना, रचना या संस्मारक, या कोई स्तूप या स्थान या दफ़नगाह या कोई गुफा, शैल-मूर्ति, शिला-लेख या एकाश्मक जो ऐतिहासिक, पुरातत्वीय या कलात्मक रुचि का है और जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत हैं -

(i) किसी प्राचीन संस्मारक के अवशेष,

(ii) किसी प्राचीन संस्मारक का स्थल,

(iii) किसी प्राचीन संस्मारक के स्थल से लगी हुई भूमि का ऐसा भाग जो ऐसे संस्मारक को बाड़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा

(iv) किसी प्राचीन संस्मारक तक पहुंचने और उसके सुविधाजनक निरीक्षण के साधन;

(ख) ''पुरातत्वीय स्थल और अवशेष" से कोई ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसमें ऐतिहासिक या पुरातत्वीय महत्व के ऐसे भग्नावशेष या अवशेष हैं या जिनके होने का युक्तियुक्तरूप से विश्वास किया जाता है, जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, और इनके अंतर्गत हैं-

(i) उस क्षेत्र से लगी हुई भूमि का ऐसा भाग जो उसे बाड़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा

(ii) उस क्षेत्र तक पहुंचने और उसके सुविधापूर्ण निरीक्षण के साधन;

(ग) "अधिनियम" से आशय प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) है;

(घ) "पुरातत्व अधिकारी" से भारत सरकार के पुरातत्व विभाग का कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो सहायक अधीक्षण पुरातत्वविद से निम्नतर पद (श्रेणी) का नहीं है;

(ड.) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 20च के अधीन गठित राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(च) "सक्षम प्राधिकारी" से केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पुरातत्व निदेशक या पुरातत्व आयुक्त की श्रेणी से नीचे न हो या समतुल्य श्रेणी का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो

इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सक्षम प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो:

बशर्ते कि केंद्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा 20ग, 20घ और 20ङ के प्रयोजन के लिए भिन्न भिन्न सक्षम प्राधिकारी विनिर्दिष्ट कर सकेगी;

(छ) "निर्माण" से किसी संरचना या भवन का कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत उसमें ऊर्ध्वाकार या क्षैतिजीय कोई परिवर्धन या विस्तारण भी है, किन्तु इसके अंतर्गत किसी विद्यमान संरचना या भवन का कोई पुन:निर्माण, मरम्मत और नवीकरण या नालियों और जलनिकास सुविधाओं तथा सार्वजनिक शौचालयों, मूत्रालयों और इसी प्रकार की सुविधाओं का निर्माण, अनुरक्षण और सफाई या जनता के लिए जलापूर्ति की व्यवस्था करने के लिए आशयित सुविधाओं का निर्माण और अनुरक्षण या जनता के लिए विद्युत की आपूर्ति और वितरण के लिए निर्माण या अनुरक्षण, विस्तारण, प्रबंध या जनता के लिये इसी प्रकार की सुविधाओं के लिए व्यवस्था शामिल नहीं हैं;

(ज) "तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.)" से आशय सभी तलों के कुल आवृत्त क्षेत्र का (पीठिका क्षेत्र) भूखंड (प्लाट) के क्षेत्रफल से भाग करके प्राप्त होने वाले भागफल से अभिप्रेत है;

तल क्षेत्र अनुपात = भूखंड क्षेत्र द्वारा विभाजित सभी तलों का कुल आवृत्त क्षेत्र;

(झ) "सरकार" से आशय भारत सरकार से है;

(ञ) अपने व्याकरणिक रूपों और सजातीय पदों सहित "अनुरक्षण" के अंतर्गत हैं किसी संरक्षित संस्मारक को बाड़ से घेरना, उसे आच्छादित करना, उसकी मरम्मत करना, उसका पुनरूद्धार करना और उसकी सफाई करना, और कोई ऐसा कार्य करना शामिल है जो किसी संरक्षित संस्मारक के परिरक्षण या उस तक सुविधाजनक पहुंच को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है;

(ट) "स्वामी" के अंतर्गत हैं-

(i) संयुक्त स्वामी जिसमें अपनी ओर से तथा अन्य संयुक्त स्वामियों की ओर से प्रबंध करने की शक्तियॉ निहित हैं और किसी ऐसे स्वामी के हक-उत्तराधिकारी, तथा

(ii) प्रबंध करने की शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई प्रबंधक या न्यासी और ऐसे किसी प्रबंधक या न्यासी का पद में उत्तराधिकारी;

(ठ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है:

(ड) "प्रतिषिद्ध क्षेत्र" से धारा 20(क) के अधीन प्रतिषिद्ध क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट क्षेत्र या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ढ) "संरक्षित क्षेत्र" से कोई ऐसा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;

(ण) "संरक्षित संस्मारक" से कोई ऐसा प्राचीन संस्मारक अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;

(त) "विनियमित क्षेत्र" से इस अधिनियम की धारा 20ख के अधीन विनिर्दिष्ट या घोषित (किया गया विनियमित क्षेत्र) अभिप्रेत है;

(थ) "पुन:निर्माण" से किसी संरचना या भवन का उसकी पूर्व विद्यमान संरचना में ऐसा कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसकी क्षैतिजीय और ऊर्ध्वाकार सीमाएं समान हैं;

(द) मरम्मत और पुनरुद्धार" से किसी पूर्व विद्यमान संरचना या भवन के परिवर्तन अभिप्रेत हैं, किन्तु इसके अंतर्गत निर्माण या पुन:निर्माण नहीं होंगे।

(2) इसमें प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का आशय वही अर्थ होगा जैसा अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए नियमों में समनुदेशित किया गया है।

अध्याय II

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (एएमएएसआर) अधिनियम,1958 की पृष्ठभूमि

2.1 अधिनियम की पृष्ठभूमि:

धरोहर उप-विधियों का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित संस्मारकों की सभी दिशाओं में 300 मीटर के अंदर भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दखल के बारे में मार्गदर्शन देना है। 300 मीटर के क्षेत्र को दो भागों में बॉटा गया है (i) प्रतिषिद्ध क्षेत्र, यह क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र अथवा संरक्षित संस्मारक की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में एक सौ मीटर की दूरी तक फैला है और (ii) विनियमित क्षेत्र, यह क्षेत्र प्रतिषिद्ध क्षेत्र की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में दो सौ मीटर की दूरी तक फैला है।

अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति संरक्षित क्षेत्र और प्रतिषिद्ध क्षेत्र में किसी प्रकार का निर्माण अथवा खनन का कार्य नहीं कर सकता जबकि ऐसा कोई भवन अथवा संरचना जो प्रतिषिद्ध क्षेत्र में 16 जून, 1992 से पूर्व मौजूद था अथवा जिसका निर्माण बाद में महानिदेशक (डीजी), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अनुमति से हुआ था, और विनियमित क्षेत्र में किसी भवन अथवा संरचना का निर्माण, पुन:निर्माण, मरम्मत अथवा पुनरुद्धार की अनुमति सक्षम प्राधिकारी से लेना अनिवार्य है।

2.2 धरोहर उप-विधियों से संबंधित अधिनियम के उपबंध:

एएमएएसआर अधिनियम,1958 की धारा 20ङ और प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम (धरोहर उप-विधियों का विनिर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम 2011 के नियम 22 में संरक्षित संस्मारकों के लिए उप-विधि बनाना विनिर्दिष्ट है। नियम में धरोहर उप-विधि बनाने के लिए मापदंडों का प्रावधान है। राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें तथा कार्य संचालन) नियम, 2011 के नियम 18 में प्राधिकरण द्वारा धरोहर उप विधि के अनुमोदन की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट है।

2.3 आवेदक के अधिकार और जिम्मेदारियां:

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20ग एएमएएसआर में प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मरम्मत और नवीकरण के लिए अथवा विनियमित क्षेत्र में निर्माण अथवा पुन: निर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण के लिए नीचे दिये गये अनुसार आवेदन का ब्योरा दिया गया है:

क) कोई भी व्यक्ति, जो किसी भवन या संरचना का स्वामी है, जो 16 जून, 1992 से पहले प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मौजूद थी, या जिसे बाद में महानिदेशक, एएसआई की मंजूरी के साथ बनाया गया था और जो ऐसे किसी भी भवन या संरचना की मरम्मत या नवीकरण का कार्य करना चाहता है तो वह ऐसी मरम्मत और नवीकरण, जैसा भी मामला हो, करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।

ख) कोई व्यक्ति जो किसी विनियमित क्षेत्र में किसी भवन अथवा संरचना अथवा भूमि का स्वामी है और ऐसी भूमि पर कोई निर्माण अथवा पुनर्निर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण, जैसा भी मामला हो, करना चाहता है तो वह निर्माण अथवा पुनर्निर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण जैसा भी मामला हो, के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।

ग) सभी संबंधित सूचना प्रस्तुत करने तथा राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्तें और कार्यप्रणाली) नियम, 2011 के अनुपालन की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

अध्याय III

संरक्षित संस्मारक- रायबरेली और प्रतापगढ़ रोड के दूसरे मील पर स्थित सईं पुल, जिला- रायबरेली, उत्तर प्रदेश" का स्थान और अवस्थिति

3.1 संस्मारक का स्थान और अवस्थिति:

संरक्षित संस्मारक- सई पुल रायबरेली शहर के दक्षिण-पूर्व में डलमऊ जाने वाली सड़क पर सईं नदी पर स्थित है। रायबरेली लखनऊ से 82 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में सईं नदी के तट पर स्थित है। भौगोलिक निर्देशांक उनके स्थानों को **26°12'05.7"उत्तरी** अक्षांश और **81°14'49.5" पूर्वी देशांतर** इंगित करते हैं। यह स्थल उत्तर की ओर नेहरू नगर रोड से जुड़ा हुआ है और आगे जेल रोड से जुड़ा हुआ है। संस्मारक उत्तर की ओर एक स्कूल, कुछ मंदिरों और आवासों से घिरा हुआ है। संस्मारक के प्रत्येक तरफ कई खुले हरे भरे स्थान हैं। निकटतम रेलवे स्टेशन रायबरेली जंक्शन है जो 4 किमी की दूरी पर स्थित है। संस्मारक चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा से 80 किमी की दूरी पर है।

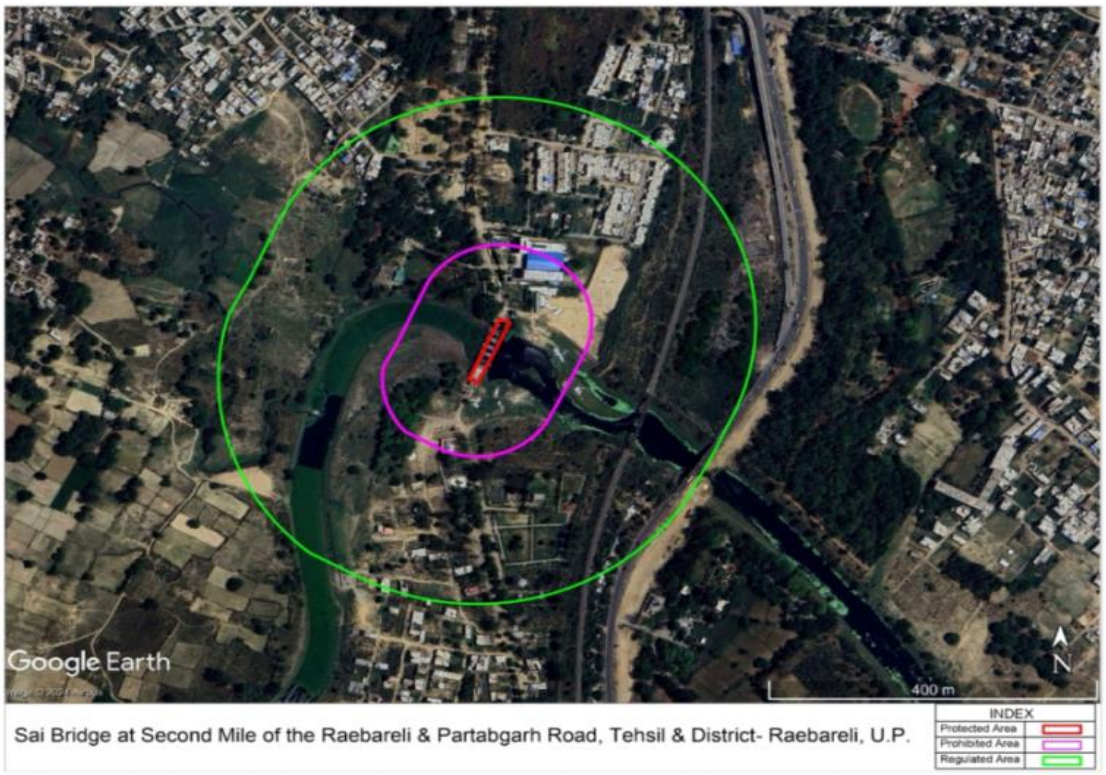

चित्र 1: गूगल अर्थ पर रायबरेली और प्रतापगढ़ मार्ग - रायबरेली के दूसरे मील पर स्थित साईं ब्रिज का स्थान दिखाया गया है।

3.2 संस्मारक की संरक्षित सीमा :

रायबरेली और प्रतापगढ़ रोड के दूसरे मील पर स्थित संरक्षित संस्मारक- **साईं पुल, जिला- रायबरेली, उत्तर प्रदेश की संरक्षित सीमा अनुलग्नक-I** पर देखी जा सकती है ।

3.2.1 एएसआई रिकॉर्ड के अनुसार अधिसूचना मानचित्र/योजना:

रायबरेली और प्रतापगढ़ रोड के दूसरे मील पर स्थित साईं पुल जिला- रायबरेली, उत्तर प्रदेश की अधिसूचना **अनुलग्नक-II** में देखी जा सकती है।

3.3 संस्मारक का इतिहास:

सईं नदी पर पुल का निर्माण नवाब आसफ़-उद-दौला के शासनकाल में हुआ था, संभवतः नवाबी काल (1775-1797) के दौरान सबसे शक्तिशाली आमिलों में से एक, अलमास अली द्वारा यह निर्माण कराया गया था। अलमास होशियारपुर के पास एक गांव के जाट किसान का बेटा था और जन्म से ही हिजड़ा था। अलमास बहुत ही योग्य और बुद्धिमान व्यक्ति था। आसफ-उद-दौला ने अलमास को समृद्ध और रणनीतिक रोहिलखंड और दोआब के एक बड़े हिस्से सहित काफी बड़े क्षेत्र का प्रबंधन सौंपा था। ऐसा ही एक और पुल लखनऊ में आसफ-उद-दौला के अधीन एक शक्तिशाली रईस, राजा टिकैत राय द्वारा लखनऊ-हरदोई मार्ग पर बेहटा नदी पर बनाया गया था।[1]

3.4 संस्मारक का विवरण (वास्तुशिल्प विशेषताएँ, तत्व, सामग्री आदि):

सईं नदी पर बना पुल रायबरेली-डलमऊ मार्ग को जोड़ने के लिए बनाया गया था। *लाखौरी* ईंटों, चूने- *सुरखी से बना यह* पुल असली मेहराबों द्वारा स्पैन को जोड़कर बनाया गया था। ऐसा लगता है कि कुल मिलाकर कम से कम दस से ग्यारह स्पैन थे, लेकिन पुल के ढह जाने के कारण कुछ स्पैन रेत और मिट्टी से ढक गए थे। आठ स्पैन, जिनमें से एक अपेक्षाकृत छोटा है, वर्तमान में दिखाई देते हैं। केवल तीन मेहराबों से ढके हैं, अन्य मेहराब अब गायब हो गए हैं। प्लिंथ स्तर पर पुल के खंभों पर बिंदु(डोट्स) प्रदान किए गए हैं ताकि खंभों की बढ़ी हुई मजबूती सुनिश्चित हो सके। एक मीनार जैसा खंभा, 6.05 मीटर ऊंचा, जो पुल का अभिन्न अंग है, रायबरेली शहर की ओर से दाहिनी ओर खड़ा है। ऐसा लगता है कि यदि लखनऊ के समकालीन बेहटा पुल के स्वरूप को स्वीकार किया जाए तो दाहिनी ओर एक और मीनार रही होगी, जिस पर शिलालेख खुदा होगा। लेकिन अब इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता। यह पुल अब जीर्ण- क्षीण हालत में हैं।[2]

3.5 वर्तमान स्थिति

3.5.1 संस्मारक की स्थिति- स्थिति का आकलन:

संरक्षित संस्मारक और इसके संरक्षित क्षेत्रों का रखरखाव और संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का एकमात्र अधिकार क्षेत्र है। संस्मारक की वर्तमान स्थिति को दर्शाने वाली तस्वीरें **अनुलग्नक- V** में संलग्न हैं।

---

[1] भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (लखनऊ परिमंडल)

[2] पूर्वोक्त

3.5.2 दैनिक आगंतुकों की संख्या और कभी-कभी एकत्रित होने वाले आगंतुकों की संख्या:

संरक्षित संस्मारक एक बिना टिकट वाला संस्मारक है, जहाँ प्रतिदिन 10 से 20 आगंतुक आते हैं। स्थानीय अधिकारियों द्वारा पास के शहीद स्मारक पार्क पर आयोजित कार्यक्रमों के दौरान आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हो जाती है।[3].

[3] भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (लखनऊ परिमंडल)

अध्याय VI

स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं में विद्यमान क्षेत्रीकरण, यदि कोई हो

4.1 स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं में विद्यमान क्षेत्रीकरण (यदि कोई हो):

रायबरेली शहर नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है । रायबरेली शहर का मास्टर प्लान 2021 हालांकि क्षेत्रों को निर्दिष्ट नहीं करता है, लेकिन यह इसकी प्रशासनिक सीमा के तहत क्षेत्रों के विशिष्ट भूमि उपयोग का प्रस्ताव करता है। **(अनुलग्नक-IV देखें)**

4.2 स्थानीय निकायों के मौजूदा दिशानिर्देश:

'रायबरेली सिटी मास्टर प्लान 2021' भूमि उपयोग को परिभाषित करता है। निर्माण हेतु सामान्य दिशा-निर्देश **"उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973"** में दिये गये प्रावधानों के अनुसार **"विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008" (समय-समय पर संशोधित) में उल्लिखित** अनुसार लागू होंगे।"

संरक्षित स्मारकों के लिए प्रावधान **"विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि - 2008; संशोधित 2016, 2018 उपधारा - 3.1.9 (I) एवं (II)" में उल्लिखित हैं।** यह निर्दिष्ट किया गया है कि, केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित संस्मारकों के रूप में नामित संस्मारकों और विरासत स्थलों के लिए, पुरातात्विक संस्मारकों/स्थलों की संरक्षित सीमा से 100 मीटर के दायरे(प्रतिषिद्ध क्षेत्र) के भीतर निर्माण और विकास की अनुमति नहीं है। इस प्रतिषिद्ध क्षेत्र से परे, 300 मीटर (विनियमित क्षेत्र) की दूरी तक; निर्माण/विकास के लिए "**प्राचीन संस्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958** " के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए।

अध्याय V

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अभिलेख (रिकार्ड) में परिभाषित सीमाओं के आधार पर प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों की प्रथम अनुसूची नियम 21 (1)/टोटल स्टेशन सर्वेक्षण के अनुसार सूचना

5.1 रायबरेली और प्रतापगढ़ रोड, जिला- रायबरेली, उत्तर प्रदेश के दूसरे मील पर स्थित सईं पुल की सर्वेक्षण योजना:

रायबरेली और प्रतापगढ़ रोड, जिला- रायबरेली, उत्तर प्रदेश के दूसरे मील पर स्थित सई पुल की सर्वेक्षण योजना **अनुलग्नक- I** में देखी जा सकती है।

5.2 सर्वेक्षित आंकड़ों का विश्लेषण:

5.2.1 प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र का विवरण:

क) संस्मारक का कुल संरक्षित क्षेत्र 0.77 एकड़ (लगभग) है।

ख) संस्मारक का कुल प्रतिषिद्ध क्षेत्र 15.65 एकड़ (लगभग) है।

ग) संस्मारक का कुल विनियमित क्षेत्रफल 77.88 एकड़ (लगभग) है।

5.2.2 निर्मित क्षेत्र का विवरण:

<u>प्रतिषिद्ध क्षेत्र</u>

उत्तर: उत्तर दिशा में मंदिर हैं और बीएसएस पब्लिक स्कूल परिसर स्थित है। उत्तर-पूर्व दिशा में सई नदी के जलभराव वाले क्षेत्र के साथ एक टिन शेड है , जिसका उपयोग धोबी घाट के रूप में किया जाता है ।

दक्षिण: भारत माता मंदिर और शहीद संस्मारक का एक हिस्सा दक्षिण में स्थित हैं। दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर, कुछ निर्माणाधीन संरचनाएँ हैं।

पूर्व दिशा: पूर्व दिशा में कोई निर्माण नहीं है। इस दिशा में केवल सई नदी और जल भराव क्षेत्र ही मिलता है।

पश्चिम: पश्चिम में सई नदी, एक जल भराव क्षेत्र और एक कब्रिस्तान मौजूद है।

<u>विनियमित क्षेत्र</u>

उत्तर: आवास विकास कॉलोनी परिसर, एक ओवरहेड पानी की टंकी और बीबीएस पब्लिक स्कूल परिसर उत्तर में मौजूद हैं। उत्तर-पूर्व दिशा में एक रेलवे लाइन स्थित है।

दक्षिण: दक्षिण दिशा में एक बिजलीघर, एक ओवरहेड पानी की टंकी, आवास और एक रेलवे ट्रैक मौजूद है। दक्षिण-पश्चिम दिशा में कृषि भूमि है।

पूर्व: पूर्व दिशा में एक रेलवे पुल और इस दिशा में न्यू साई ब्रिज स्थित है।

पश्चिम: पश्चिम दिशा में कोई निर्माण कार्य नहीं है, केवल कृषि भूमि है। हालांकि, उत्तर-पश्चिम दिशा में मंदिर, घर, कब्रिस्तान का एक हिस्सा और कृषि भूमि स्थित है।

5.2.3 हरे/खुले स्थानों का विवरण:

<u>प्रतिषिद्ध क्षेत्र</u>

उत्तर: संरक्षित संस्मारक के पास एक पार्क है और उत्तर की ओर बीएसएस पब्लिक स्कूल परिसर में एक खुला हरा-भरा क्षेत्र है। उत्तर-पूर्व दिशा में सई नदी और जलभराव वाले क्षेत्र मौजूद हैं।

दक्षिण: दक्षिण में शहीद संस्मारक पार्क का एक हिस्सा है और पावर हाउस में एक खुला स्थान है। नदी के किनारे एक बड़ा खुला मैदान स्थित है।

पूर्व: पूर्व में साई नदी और जलभराव वाला क्षेत्र है।

पश्चिम : दक्षिण दिशा में सई नदी और जलभराव वाले क्षेत्र हैं। दक्षिण-पश्चिम दिशा में आम के बगीचे के साथ-साथ हरियाली और खुले स्थान हैं।

<u>विनियमित क्षेत्र</u>

उत्तर: उत्तर की ओर बीबीएस पब्लिक हाई स्कूल और आवास विकास कॉलोनी परिसर के पास विभिन्न खुले भूमि क्षेत्र हैं। उत्तर-पूर्व में रेलवे ट्रैक के साथ-साथ एक बड़ी हरी-भरी जगह है।

दक्षिण: इस दिशा में शहीद संस्मारक पार्क नामक पार्क, राणा बेनी माधव बख्श सिंह पार्क, और विभिन्न खुले भूखंड स्थित हैं।

पूर्व: पूर्व में सई नदी, जल भराव क्षेत्र, कृषि भूमि और खुली भूमि क्षेत्र मौजूद हैं।

पश्चिम: पश्चिम में सई नदी, जलभराव वाले क्षेत्र, कृषि भूमि और खुली भूमि वाले क्षेत्र मौजूद हैं।

5.2.4 परिसंचरण के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र - सड़कें, फुटपाथ, आदि:

सईं पुल पर पैदल चलने वालों के लिए स्थानीय अधिकारियों द्वारा पुराने पुल के खंभों पर एक संकरा पुल बनाया गया है। प्रतिषिद्ध क्षेत्र में, संस्मारक के उत्तरी छोर पर एक पक्की सड़क और दक्षिणी छोर पर ईंट की पक्की सड़क को छोड़कर कोई अन्य अच्छी तरह से निर्मित सड़क नहीं है। रायबरेली को इलाहाबाद से जोड़ने वाला एनएच 24B राजमार्ग विनियमित क्षेत्र के पूर्व में स्थित है।

5.2.5 भवन की मौजूदा ऊंचाई (क्षेत्रवार):

उत्तर: प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में जी से जी+4 तक की इमारतें, अधिकतम ऊंचाई लगभग 15 मीटर (लगभग)।

दक्षिण: प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में जी से जी+2 तक की इमारतें, अधिकतम ऊंचाई लगभग 9 मीटर (लगभग)।

पूर्व: कृषि भूमि और खुली भूमि प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों के भीतर स्थित हैं।

पश्चिम: कृषि भूमि और खुली भूमि प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों के भीतर स्थित हैं।

5.2.6 प्रतिषिद्ध/विनियमित क्षेत्र के भीतर स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा राज्य संरक्षित संस्मारक और सूचीबद्ध धरोहर भवन, यदि उपलब्ध हों:

उत्तर प्रदेश के रायबरेली और प्रतापगढ़ रोड के दूसरे मील पर स्थित सई पुल के प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र के भीतर कोई राज्य का स्मारक या संरक्षित संस्मारक नहीं है।

5.2.7 सार्वजनिक सुविधाएं:

संरक्षित संस्मारक स्थल पर पेयजल एवं शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। हालाँकि, संस्मारक के उत्तरी प्रवेश द्वार पर एक हैंडपंप मौजूद है। कोई उचित संकेतक भी उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

5.2.8 संस्मारक तक सुगमता:

संस्मारक तक उत्तरी छोर पर पक्की सड़क और दक्षिणी छोर पर ईंटों की पक्की सड़क से पहुंचा जा सकता है।

5.2.9 अवसंरचना सेवाएँ (जल आपूर्ति, वर्षा जल निकासी, सीवेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पार्किंग आदि):

संरक्षित संस्मारक स्थल पर कोई बुनियादी ढांचा सेवाएँ उपलब्ध नहीं हैं। वर्तमान में संस्मारक के उत्तर में खुला क्षेत्र अनौपचारिक रूप में आगंतुकों की पार्किंग के लिए उपयोग में लाया जाता है।

5.2.10 क्षेत्र का प्रस्तावित ज़ोनिंग:

रायबरेली शहर नगर पालिका क्षेत्र के लिए ऐसा कोई प्रस्तावित ज़ोनिंग निर्दिष्ट नहीं है, हालाँकि भूमि उपयोग नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश और रायबरेली विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार **रायबरेली महायोजना - 2021** द्वारा किया जाता है। **(अनुलग्नक-IV देखें)**

अध्याय VI

संस्मारकों का वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व

6.1 वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व:

इस पुल का काफी अधिक वास्तुकला महत्व है क्योंकि इसका निर्माण सई नदी पर किया गया था जिसका उद्देश्य रायबरेली-डलमऊ सड़क को जोड़ना था। यह पुल *लाखौरी* ईंटों, चूना- *सुर्खी* और अन्य सामग्रियों से बनाया गया था। इसका निर्माण वास्तविक मेहराबों द्वारा स्पैन को जोड़कर किया गया था। ऐसा लगता है कि कुल मिलाकर कम से कम दस से ग्यारह स्पैन थे लेकिन पुल ढहने के कारण कुछ स्पैन रेत और मिट्टी से ढक गए थे। पुल के खंभों को प्लिंथ स्तर पर डॉट्स प्रदान किए गए हैं ताकि खंभों की मजबूती और बढ़ाई जा सके।[4]

6.2 संस्मारक की संवेदनशीलता (जैसे विकासात्मक दबाव, शहरीकरण, जनसंख्या दबाव, आदि):

पुल का उपयोग वाहनों के लिए नहीं किया जाता है। स्थानीय अधिकारियों द्वारा पैदल यात्रियों के लिए पुराने पुल के खंभों पर एक संकरा पुल बनाया गया है। आगंतुकों के अलावा, संस्मारक का उपयोग साइकिल सवारों और आस-पास के क्षेत्रों के पैदल यात्रियों द्वारा भी किया जाता है। चूंकि, दक्षिणी और उत्तरी दोनों दिशाओं में आबादी में वृद्धि हुई है, नतीजतन, संस्मारक अतिक्रमण, शहरीकरण और विकास गतिविधियों की दृष्टि से असुरक्षित हो गया है।

6.3 संरक्षित संस्मारक या क्षेत्र से दृश्यता और विनियमित क्षेत्र से दृश्यता:

संस्मारक प्रतिषिद्ध क्षेत्र से दिखाई देता है सिवाय उत्तरी दिशा से जहां स्कूल परिसर और आवासों के कारण संस्मारक उत्तरी तरफ से छिपा हुआ है, जिसकी ऊँचाई G+1 से G+4 तक है। विनियमित क्षेत्र में, दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम दिशा में G या G+1 निर्माण है, जिससे संस्मारक की दृश्यता कठिन हो जाती है। खुले स्थानों और एक ओवर-ब्रिज की उपस्थिति के कारण यह पूर्व की ओर से आंशिक रूप से दिखाई देता है।

6.4 पहचान किए जाने वाला भू-उपयोग:

रायबरेली मास्टर प्लान-2021 के अनुसार, उत्तर प्रदेश के रायबरेली और प्रतापगढ़ मार्ग के दूसरे मील पर स्थित सई पुल की भूमि का उपयोग, संरक्षित, प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों के लिए आवासीय, पार्क और खुले स्थान, कब्रिस्तान / श्मशान भूमि, सिटी फॉरेस्ट और रीजनल पार्क के रूप में निर्धारित किया गया है।

6.5 संरक्षित संस्मारक के अलावा अन्य पुरातात्विक धरोहर:

संस्मारक के आसपास अब तक कोई पुरातात्विक धरोहर के अवशेष ज्ञात नहीं हैं।

[4] भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (लखनऊ परिमंडल)

6.6 सांस्कृतिक परिदृश्य:

संस्मारक के आसपास कोई सांस्कृतिक परिदृश्य नहीं है।

6.7 महत्वपूर्ण प्राकृतिक परिदृश्य जो सांस्कृतिक परिदृश्य का हिस्सा हैं और संस्मारक को पर्यावरणीय प्रदूषण से बचाने में भी मदद करते हैं:

प्रतिषिद्ध क्षेत्र में दक्षिण दिशा में आम का बागीचा, उत्तर और दक्षिण दिशा में खुले स्थान है। विनियमित क्षेत्र में पूर्व दिशा में कृषि भूमि है।

6.8 खुली जगह और निर्माण का उपयोग:

संरक्षित संस्मारक के आसपास के खुले क्षेत्र का उपयोग मुख्य रूप से कृषि उद्देश्यों के लिए किया जाता है। निर्माण गतिविधियां आवास, मंदिर, स्कूल और कब्रिस्तान के लिए हैं।

6.9 पारंपरिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ:

संरक्षित, प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में कोई पारंपरिक, सांस्कृतिक या ऐतिहासिक गतिविधियाँ नहीं होती हैं। फिर भी, मंदिर संस्मारक के प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर स्थित हैं, जहां कभी- कभी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं।

6.10 संस्मारक और विनियमित क्षेत्रों से दृश्यमान क्षितिज:

संस्मारक से बीएसएस स्कूल परिसर और जी+1 और जी+4 तक की अलग-अलग ऊंचाई वाले आवास दिखाई देते हैं। विनियमित क्षेत्र में उत्तरी, दक्षिण, और दक्षिण-पश्चिम दिशा में जी/जी+1 निर्माण दिखते हैं। **(अनुलग्नक-IV** देखें**)**

6.11 पारंपरिक वास्तुकला:

संस्मारक के आसपास की पारंपरिक वास्तुकला में एक पुरानी हनुमान गढ़ी और शनि देव का मंदिर शामिल हैं। कहा जाता है कि इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में एक आश्रम के साथ किया गया था।

6.12 स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा यथा उपलब्ध विकासात्मक योजना:

रायबरेली सिटी मास्टर प्लान 2021 है जिसका वर्तमान में पालन किया जा रहा है क्योंकि 2031 का मास्टर प्लान अभी भी मसौदा चरण में है। इसे **अनुलग्नक-IV** में देखा जा सकता है ।

6.13 अनुमेय भवन संबंधी मानदंड:

6.13.1 <u>मरम्मत एवं नवीनीकरण (प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्षेत्र में):</u>

आंतरिक परिवर्तन और अनुकूली पुनः उपयोग की सामान्य रूप से अनुमति दी जा सकती है। हालाँकि, बाहरी परिवर्तन सक्षम प्राधिकारी द्वारा विस्तृत जाँच के अधीन होंगे। ऐसे परिवर्तन जिनमें रेट्रोफिटिंग/नवीनीकरण शामिल है, की अनुमति तब दी जा

सकती है जब इमारत संरचनात्मक रूप से कमज़ोर या असुरक्षित हो या जब उस पर किसी प्राकृतिक आपदा का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो और नवीनीकरण अत्यंत आवश्यक हो। मूल इमारत शब्दावली और लेआउट के साथ-साथ निर्मित-खुले संबंधों का पालन किया जाना चाहिए। सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति के अधीन इमारतों की सामान्य मरम्मत और रखरखाव की अनुमति होगी।

भवन/संरचनाओं में मरम्मत और नवीनीकरण संरक्षित संस्मारक और उसके आस-पास के क्षेत्रों की धरोहर विशेषताओं के अनुरूप और उससे मेल खाता होना चाहिए। एल्युमिनियम कम्पोजिट पैनल (एसीपी), हाई प्रेशर लैमिनेट्स (एचपीएल), लैमिनेट्स, टाइलिंग या ग्लेज़िंग जैसी नई क्लैडिंग सामग्री की अनुमति नहीं दी जाएगी । मरम्मत और नवीनीकरण कार्यों को करने में स्थानीय रूप से उपलब्ध निर्माण सामग्री के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ।

6.13.2 <u>पुनर्निर्माण :</u>

पुनर्निर्माण को एएमएएसआर अधिनियम, 1958 की धारा 2(त) में परिभाषित किया गया है तथा विनियमित क्षेत्र में पुनर्निर्माण की अनुमति एएमएएसआर अधिनियम, 1958 की धारा 20ग(2) और एएमएएसआर (विरासत उपनियमों का निर्धारण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम, 2011 के नियम 6(IV) और नियम 7 के अनुसार दी जाती है। किसी संरक्षित संस्मारक या संरक्षित क्षेत्र के प्रतिषिद्ध या विनियमित क्षेत्र में स्थित किसी भी प्रकार के भवन या सरंचना, जो प्राकृतिक आपदाओं से ध्वस्त या क्षतिग्रस्त हो गयी है, और जिसकी मरम्मत नहीं की जा सकती है, के मामले में पुनर्निर्माण की एएमएएसआर (विरासत उपनियमों का निर्धारण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम, 2011 के नियम 16 के अनुसार दी जाती है। पुनर्निर्माण के मामले में पुरानी इमारत के प्रतिस्थापन के रूप में नई संरचना या इमारत को पहले से मौजूद संरचना के अनुसार उसी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सीमाओं का पालन करना होगा। अग्रभाग में असंगत सामग्री जैसे ग्लेज़िंग, मेटल क्लैडिंग, एल्युमीनियम कम्पोजिट पैनल (एसीपी), हाई प्रेशर लैमिनेट्स (एचपीएल), टाइल्स, लैमिनेट्स के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। नई संरचना संरक्षित संस्मारक के धरोहर क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्र के साथ मेल खाती और उसके अनुरूप होनी चाहिए।

6.13.3 <u>नया निर्माण:</u>

6.13.3.क प्रतिषिद्ध क्षेत्र:

एएमएएसआर अधिनियम, 1958 की धारा 20क(4) के अनुसार, संरक्षित संस्मारक के प्रतिषिद्ध क्षेत्र के भीतर किसी भी सार्वजनिक कार्य या जनता के लिए आवश्यक परियोजना या अन्य निर्माण सहित किसी भी नए निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6.13.3.ख विनियमित क्षेत्र:

"उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973" के अंतर्गत परिभाषित 2016 में संशोधित (खंड 1.1.1, 1.1.2, और 1.2.1) 'विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में निर्दिष्ट सभी विकास नियंत्रण नियम एवं भवन विनियम, जब कभी भी संशोधित होंगे, लागू होंगे। तथापि, इस दस्तावेज़ में निर्दिष्ट ऊंचाई और अन्य मानदंड संरक्षित संस्मारक के विनियमित क्षेत्र में लागू होंगे।

1. **कार्य-स्थल पर नए निर्माण की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचना आदि सहित) या छत पर कोई अन्य सेवाएं:**

नए निर्माण या मौजूदा भवनों में परिवर्धन/परिवर्तन के लिए अधिकतम ऊंचाई सीमा **7.5 मीटर** से अधिक नहीं होगी (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जेनरेटर रूम, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टेरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) या छत पर कोई अन्य सेवाएं।

संरक्षित संस्मारक की संरचना, सुरक्षा पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को समाप्त करने के लिए तलघर के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाये।

2. **उपयोग:**

रायबरेली शहर मास्टर प्लान 2021 में यथा उल्लिखित वर्तमान भूमि उपयोग को बरकरार रखा जाना चाहिए।

3. **अग्रभाग डिजाइन:**

नए निर्माण के अग्रभाग का डिज़ाइन न्यूनतम स्वरूप का होना चाहिए, ताकि यह संस्मारक और आसपास के क्षेत्र के समग्र धरोहर स्वरूप पर हावी न हो। अग्रभाग का डिज़ाइन सूक्ष्म, प्लास्टरयुक्त और मिट्टी के रंगों (सफ़ेद, ग्रे, बेज, भूरा आदि) में रंगा हुआ होना चाहिए।

4. **छत का डिज़ाइन:**

(i) क्षेत्र में केवल सपाट छत के डिजाइन का पालन किया जाना चाहिए।

(ii) भवन की छत पर अस्थायी सामग्री जैसे एल्यूमीनियम, फाइबर ग्लास, पॉली कार्बोनेट जैसी या इसी तरह की दूसरी सामग्री का उपयोग कर अस्थाई प्रकृति की संरचनाएं भी स्थापित किये जाने को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

(iii) छत पर रखी गई बड़ी एयर कंडीशनिंग इकाइयों, पानी की टंकियों या बड़े जनरेटर सेट जैसी सभी सेवाओं को स्क्रीन दीवारों (ईंट/सीमेंट शीट/लोवर्स,जाली या अन्य

ऐसी किसी डिज़ाइन सामग्री) का उपयोग करके बंद किया जाना चाहिए। इन सभी सेवाओं को अधिकतम अनुमेय ऊंचाई में शामिल किया जाना चाहिए।

5. निर्माण सामग्री:

संस्मारक के सभी सड़क के अग्रभागों पर निर्माण सामग्री और रंग में एकरूपता बनाए रखी जा सकती है। आधुनिक निर्माण सामग्री जैसे कि एल्युमीनियम क्लैडिंग, कांच की ईंटें और किसी भी अन्य सिंथेटिक टाइल या सामग्री के प्रयोग को बाहरी फिनिश के लिए हतोत्साहित किया जाना चाहिए। ईंट और पत्थर जैसी पारंपरिक निर्माण सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए।

6. रंग:

बाहरी रंग संस्मारक के अनुरूप तटस्थ रंग का होना चाहिए, जैसे कि बफ बलुआ पत्थर का रंग, बेज और अन्य मिट्टी के रंग, जो संस्मारक और उसके आसपास के वातावरण के साथ बिलकुल बेमेल न हों।

7. अन्य विनियम:

मेट्रो (भूमिगत या ओवरहेड), फुट-ओवर ब्रिज, फ्लाईओवर, बहु-स्तरीय पार्किंग या ऐसी किसी भी परियोजना जैसे किसी भी बड़े पैमाने पर सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव विस्तृत विरासत प्रभाव आकलन रिपोर्ट के अधीन होगा।

6.14 आगंतुक सुविधाएं और सुख-सुविधाएं:

संरक्षित संस्मारक के आसपास व्यवहार्यता के अनुसार आगंतुक सुविधाएं और साधन जैसे प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छ और कार्यशील शौचालय, पेयजल सुविधा, बैठने के लिए छाया और बेंच और समुचित संकेतक और सूचना पट्ट आदि प्रदान किए जा सकते हैं।

अध्याय VII
कार्य-स्थल विशिष्ट सिफ़ारिशें

7.1 कार्य-स्थल विशिष्ट सिफ़ारिशें:

(i) संरक्षित संस्मारक के निकट विशेषकर संस्मारक की चारदीवारी पर होर्डिंग, बिल-बोर्ड, और पोस्टर की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

(ii) कार्य-स्थल पर प्रामाणिक ऐतिहासिक विवरण पर आधारित वर्णनात्मक पट्टिकाएँ भी हो सकती हैं।

(iii) वाहनों से होने वाले उत्सर्जन और कंपन के कारण संरक्षित संस्मारक पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए संस्मारक के आसपास आवाजाही के लिए पर्यावरण-अनुकूल वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाये।

(iv) वर्षा जल संचयन आदि जैसी सर्वोत्तम प्रथाओं सहित हरित भवनों के निर्माण को प्रोत्साहित किया जाये।

(v) ऐतिहासिक परिसर के भीतर सभी चिह्न संरक्षित संस्मारक और उसके बिलकुल आसपास के विशेष चरित्र के अनुरूप और सामंजस्यपूर्ण होने चाहिए।

(vi) संरक्षित संस्मारक के आसपास या इसके आसपास के क्षेत्रों में संकेतकों के लिए एलईडी या डिजिटल संकेतक, प्लास्टिक फाइबर ग्लास या किसी अन्य अत्यधिक परावर्तक सिंथेटिक सामग्री का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए ।

7.2 अन्य सिफ़ारिशें:

(i) संस्मारक के ऐतिहासिक और वास्तुकला महत्व के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक प्रचार कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं।

(ii) मास्टर प्लान में राष्ट्रीय महत्व के सभी संस्मारक, प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र दर्शाए जा सकते हैं।

(iii) दिव्यांग व्यक्तियों के लिए प्रावधान निर्धारित मानकों के अनुसार प्रदान किए जाने चाहियें।

(iv) क्षेत्र को प्लास्टिक एवं पॉलिथीन मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए।

(v) सांस्कृतिक विरासत स्थलों और परिक्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश https://ndma.gov.in/images/guidelines/Guidelines-Cultural-Heritage.pdf पर देखे जा सकते हैं।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY

In exercise of the powers conferred by section 20 E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 read with Rule (22) of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye- laws and Other Functions of the Competent Authority) Rule, 2011, the following Heritage Bye-Laws for the Protected Monument **"Sai Bridge at second mile of the Raebareli and Pratapgarh Road, District-Raebareli, Uttar Pradesh"** prepared by the Competent Authority and in consultation with Amity School of Architecture & Planning, Amity University, Lucknow, Uttar Pradesh, were hereby published on 01.12.2021 as required by Rule 18, sub-rule (2) of the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, for inviting objections or suggestions from the public;

The objections/suggestions, received before the specified date have duly been considered by the National Monuments Authority in consultation with the Authority.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of the section 20 E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 the National Monuments Authority, hereby makes the following bye-laws, namely:-

Heritage Bye-Laws for "Sai Bridge at second mile of the Raebareli and Pratapgarh Road, District-Raebareli, Uttar Pradesh"

CHAPTER I
PRELIMINARY

1.1 Short title, extent and commencements: -

(i) These bye-laws may be called the National Monuments Authority Heritage Bye-laws 2024 of Protected Monument "**Sai Bridge at second mile of the Raebareli and Pratapgarh Road, District-Raebareli, Uttar Pradesh**".

(ii) They shall extend to the entire prohibited and regulated area of the monuments.

(iii) The provisions of these bye-laws shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other bye-laws, whether made before or after the commencement of these bye-laws, or in any instrument having effect by virtue of any bye-laws. It shall not be obligatory to carry out amendments in these bye-laws to make them consistent with any other bye-laws.

(iv) They shall come into force with effect from the date of their publication.

1.2 Definitions: -

1. In these bye-laws, unless the context otherwise requires, -

(a) "ancient monument" means any structure, erection or monument, or any tumulus or place or interment, or any cave, rock sculpture, inscription or

monolith, which is of historical, archaeological or artistic interest and which has been in existence for not less than one hundred years, and includes: -

(i) the remains of an ancient monument,

(ii) the site of an ancient monument,

(iii) such portion of land adjoining the site of an ancient monument as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving such monument, and

(iv) the means of access to, and convenient inspection of an ancient monument;

(b) "archaeological site and remains" means any area which contains or is reasonably believed to contain ruins or relics of historical or archaeological importance which have been in existence for not less than one hundred years, and includes:

(i) such portion of land adjoining the area as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving it, and

(ii) the means of access to, and convenient inspection of the area;

(c) "Act" means the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958);

(d) "archaeological officer" means an officer of the Department of Archaeology of the Government of India not lower in rank than Assistant Superintendent of Archaeology;

(e) "Authority" means the National Monuments Authority constituted under Section 20 F of the Act;

(f) "competent authority" means an officer not below the rank of Director of archaeology or Commissioner of archaeology of the Central or State Government or equivalent rank, specified, by notification in the Official Gazette, as the competent authority by the Central Government to perform functions under this Act:

Provided that the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify different competent authorities for the purpose of section 20C, 20D and 20E;

(g) "construction" means any erection of a structure or a building, including any addition or extension thereto either vertically or horizontally, but does not include any re-construction, repair and renovation of an existing structure or building, or, construction, maintenance and cleansing of drains and drainage works and of public latrines, urinals and similar conveniences, or the construction and maintenance of works meant for providing supply of water for public, or, the construction or maintenance, extension, management for supply and distribution of electricity to the public or provision for similar facilities for public;

(h) "Floor Area Ratio (FAR)" means the quotient obtained by dividing the total covered area (plinth area) on all floors by the area of the plot;

FAR = Total covered area of all floors divided by plot area;

(i) "Government" means the Government of India;

(j) "maintain", with its grammatical variations and cognate expressions, includes the fencing, covering in, repairing, restoring and cleansing of a protected monument, and the doing of any act which may be necessary for the purpose of preserving a protected monument or of securing convenient access thereto;

(k) "owner" includes-

(i) a joint owner invested with powers of management on behalf of himself and other joint owners and the successor-in-title of any such owner; and

(ii) any manager or trustee exercising powers of management and the successor-in-office of any such manager or trustee;

(l) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(m) "prohibited area" means any area specified or declared to be a prohibited area under section 20A;

(n) "protected area" means any archaeological site and remains which is declared to be of national importance by or under this Act;

(o) "protected monument" means any ancient monument which is declared to be of national importance by or under this Act;

(p) "regulated area" means any area specified or declared to be a regulated area under section 20B of this Act;

(q) "re-construction" means any erection of a structure or building to its pre-existing structure, having the same horizontal and vertical limits;

(r) "repair and renovation" means alterations to a pre-existing structure or building, but shall not include construction or re-construction;

2. The words and expressions used herein and not defined shall have the same meaning as assigned in the Act or the rules made there under.

CHAPTER II

Background of the Ancient Monuments and Archaeological sites and remains (AMASR) Act, 1958

2.1 Background of the Act:

The Heritage Bye-Laws are intended to guide physical, social and economic interventions within 300m in all directions of the Protected Monuments. The three hundred meters area has been divided into two parts (i) the Prohibited Area, the area beginning at the limit of the Protected Area or the Protected Monument and extending to a distance of one hundred meters in all directions and (ii) the Regulated Area, the area beginning at the limit of the Prohibited Area and extending to a distance of two hundred meters in all directions.

As per the provisions of the Act, no person shall undertake any construction or mining operation in the Protected Area and Prohibited Area while permission for repair and renovation of any building or structure, which existed in the Prohibited Area before 16 June, 1992, or which had been subsequently constructed with the approval of Director General (DG), Archaeological Survey of India (ASI) and; permission for construction, re-construction, repair or renovation of any building or structure in the Regulated Area, must be sought from the Competent Authority

2.2 Provision of the Act related to Heritage Bye-laws:

Section 20E of AMASR Act, 1958 and Rule 22 of Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-Laws and other functions of the Competent Authority) Rules, 2011, specifies framing of Heritage Bye-Laws for Protected Monuments. The Rule provides parameters for the preparation of Heritage Bye-Laws. Rule 18 of National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, specifies the process of approval of Heritage Bye-laws by the Authority.

2.3 Rights and Responsibilities of Applicant:

Section 20C of AMASR Act, 1958 specifies details of application for repair and renovation in the Prohibited Area, or construction or re-construction or repair or renovation in the Regulated Area as described below:

a) Any person, who owns any building or structure, which existed in a Prohibited Area before 16th June, 1992, or, which had been subsequently constructed with the approval of the DG, ASI and desires to carry out any repair or renovation of such building or structure, may make an application to the Competent Authority for carrying out such repair and renovation as the case may be.

b) Any person, who owns or possesses any building or structure or land in any Regulated Area, and desires to carry out any construction or re-construction or repair or renovation of such building or structure on such land, as the case may

be, may make an application to the Competent Authority for carrying out construction or re-construction or repair or renovation as the case may be.

c) It is the responsibility of the applicant to submit all relevant information and abide by the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of the Authority and Conduct of Business) Rules, 2011.

CHAPTER III

Location and Setting of Protected Monument-Sai Bridge at second mile of the Raebareli and Pratapgarh Road, District-Raebareli, Uttar Pradesh

3.1 Location and Setting of the Monument:

The protected monument of Sai Bridge is located in the South-East of Raebareli town on the road going to Dalmau on the River Sai. Raebareli is situated at the bank of the Sai River, 82 kms South-East of Lucknow. The geographical coordinates pinpoint their locations are Latitude **26°12'05.7"N** and Longitude **81°14'49.5"E.** The site is linked to Nehru Nagar Road to the North and which is further connected to Jail Road. The monument is surrounded by a school, a few temples and residences towards North. There are various open green spaces on each side of the monument. The nearest Railway Station is Raebareli Junction which is located at the distance of 4 km. The monument is at a distance of 80 km from the Chaudhary Charan Singh Airport.

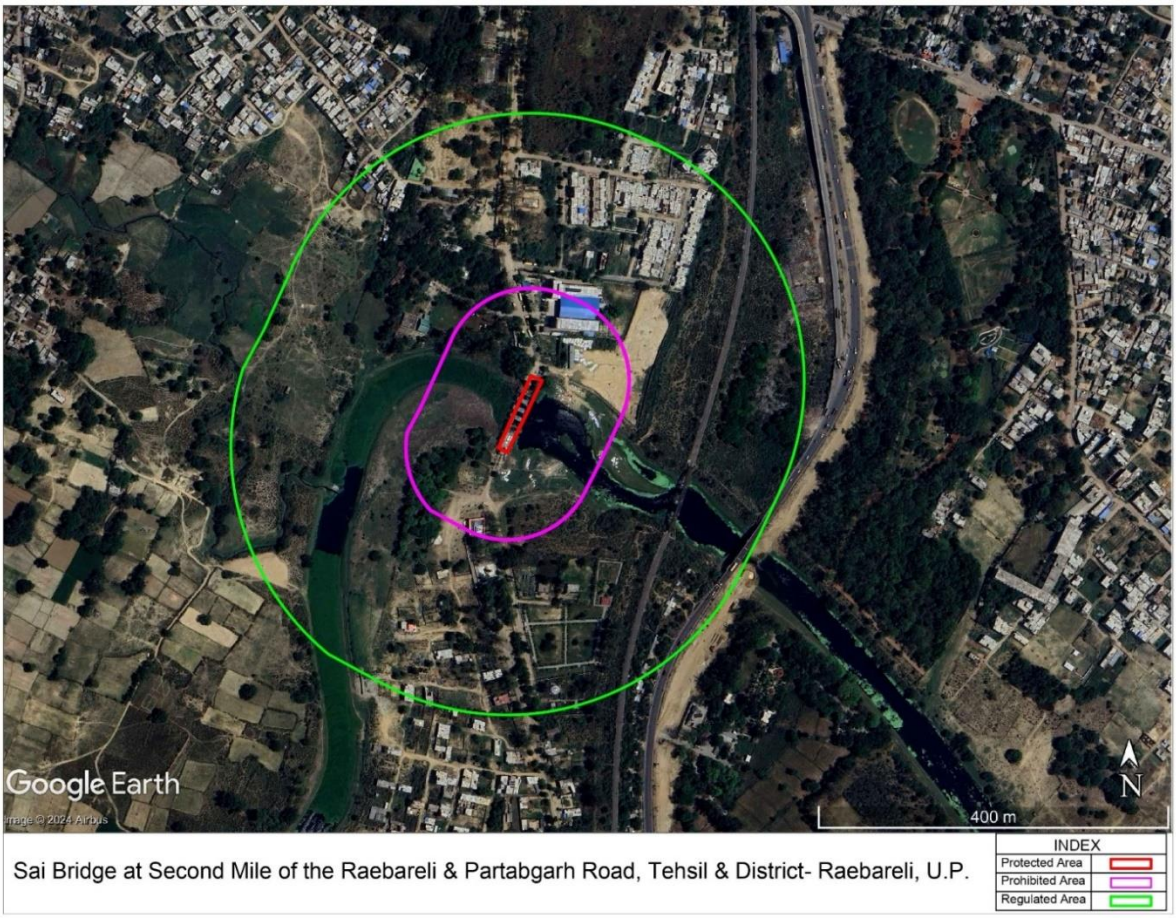

Fig 1: Google earth showing location of Sai Bridge at second mile of the Raebareli and Pratapgarh road-Raebareli

3.2 Protected boundary of the Monument:

The protected boundary of the Protected Monument- **Sai Bridge at second mile of the Raebareli and Pratapgarh Road, District-Raebareli, Uttar Pradesh** may be seen at **Annexure-I.**

3.2.1 Notification Map/ Plan as per ASI records:

Notification of **Sai Bridge at second mile of the Raebareli and Pratapgarh Road, District-Raebareli, Uttar Pradesh** may be seen at **Annexure-II**

3.3 History of the Monument:

Bridge on the river Sai was built during the reign of Nawab Asaf-ud-daula, probably by Almas Ali, one of the most powerful *amils* during the Nawabi era (1775–1797). Almas was the son of a Jat cultivator from a village near Hoshiarpur and a eunuch by birth. Almas was a man of great ability and intelligence. Asaf-ud-daula entrusted to Almas the management of considerable territory including the rich and strategic Rohilkhand a large portion of the Doab. Another such bridge was built at Lucknow by a powerful noble under Asaf-ud-daula, Raja Tikait Rai at the river Behta on Lucknow-Hardoi Road.[1]

3.4 Description of Monument (architectural features, elements, materials etc.):

The bridge built on the River Sai was meant to connect Raebareli-Dalmau road. Made of *lakhori* bricks, lime-*surkhi*, was built by connecting spans by the true arches. It seems there were at least ten to eleven spans in total but due to collapse of the bridge some spans were covered with sand and earth. Eight spans, one comparatively small, is visible at present. Only three are covered by arches, other arches have now vanished. The pillars of the bridge at plinth level have been provided with dots so as to ensure the enhanced strength of the pillars. A minaret like pillar, 6.05 m in height, integral part of the bridge, is standing on right side from the Raebareli town side. It seems there was another minaret, probably bearing an inscription, on the right, if the pattern of contemporary Behta Bridge in Lucknow is accepted. But no evidence of it is available now. The bridge is in dilapidated condition.[2]

3.5 Current Status

3.5.1 Condition of the Monument- condition assessment:

The maintenance and preservation of the Protected Monument and its protected areas is the exclusive domain of Archaeological Survey of India. The photographs depicting the present condition of the monument is appended in **Annexure V.**

3.5.2 Daily footfalls and occasional gathering numbers:

The Protected Monument is a non-ticketed monument that sees a daily footfall of 10 to 20 visitors. The number of visitors increases during events organized by local authorities at the nearby Shaheed Smarak Park.[3]

[1] Archaeological Survey of India (Lucknow Circle)
[2] ibid
[3] Archaeological Survey of India (Lucknow Circle)

CHAPTER IV

Existing zoning, if any, in the local area development plans

4.1 Existing Zoning if any in the local area development plans:

The monument falls under the jurisdiction of the Raebareli City Municipality. The Master Plan 2021 of Raebareli City although doesn't specify zones, it proposes the specific land use of the areas under its administrative boundary. **(Refer Annexure-IV)**

4.2 Existing Guidelines of the local bodies:

The 'Raebareli City Master Plan 2021' defines the land use. The general guidelines for construction shall be applicable, as mentioned in the **"Development Authority Building Construction and Development Sub Method 2008"** (amended from time to time), as per the provisions laid in the **"Uttar Pradesh Municipal Planning and Development Act – 1973."**

Provisions for Protected Monuments are outlined in the **"Development Authority Building Construction and Development Sub Method - 2008; Revised 2016, 2018 Subsection – 3.1.9 (I) & (II)"** which specifies that, for monuments and heritage sites designated as protected by the Central Government, construction and development within a 100m radius (prohibited area) from the protected boundary of archaeological monuments/sites are not allowed. Beyond this prohibited area, up to a distance of 300m (regulated area); permission for construction/development must be obtained from the Competent Authority in accordance with "**The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958**."

CHAPTER V

Information as per First Schedule, Rule 21(1)/ total station survey of the Prohibited and the Regulated Areas on the basis of boundaries defined in Archaeological Survey of India records.

5.1 Survey Plan of Sai Bridge at second mile of the Raebareli and Pratapgarh Road, District-Raebareli, Uttar Pradesh:

Survey Plan of Sai Bridge at second mile of the Raebareli and Pratapgarh Road, District-Raebareli, Uttar Pradesh may be seen at **Annexure- I.**

5.2 Analysis of surveyed data:

5.2.1 Prohibited Area and Regulated Area details:

i. Total Protected Area of the monument is 0.77 Acres (Approx).
ii. Total Prohibited Area of the monument is 15.65 Acres (Approx).
iii. Total Regulated Area of the monument is 77.88 Acres (Approx).

5.2.2 Description of built up area:

Prohibited Area

North: To the North, there are temples and the BSS Public School Campus is situated. In the North-East direction, there is a tin shed along with a waterlogged area of the Sai River, which is used as a Dhobi Ghat.

South: Bharat Mata Temple and a part of Shaheed Samarak are located in the South. Towards South-West direction, there are a few under-construction structures.

East: There is no construction in the East. Only the Sai River and a waterlogged area are present in this direction.

West: Sai River, a waterlogged area and a graveyard are present.

Regulated Area

North: Awas Vikas Colony Campus, an overhead water tank and BSS Public School Campus are present in the North. A railway line is situated in the North-East direction.

South: A power house, an overhead water tank, residences and a railway track are present in the South. In the South-West direction, there is agricultural land.

East: To the East, there is a railway bridge and the New Sai Bridge located in this direction.

West: To the West, no construction is present, only agricultural land occupies this direction. However, in the North-West direction, a temple, houses, a part of the graveyard and agricultural land are located.

5.2.3 Description of green/open spaces:

Prohibited Area

North: There is a park near the protected monument and an open green space within the BSS Public School Campus towards the North. In the North-East direction, Sai River and waterlogged areas are present.

South: To the South, there is part of Saheed Samarak Park and an open space in the power house. A large open piece of land is also situated near the river bank.

East: To the East, there is the Sai River and a waterlogged area.

West: In the South direction, there is the Sai River and waterlogged areas. In the South-West direction, there are patches of green and open spaces along with a Mango Orchard.

Regulated Area

North: Towards the North there are various open land areas near the BSS Public High School and Awas Vikas Colony Campus. In North-East there is a large green space along with the railway track.

South: In this direction, there is the Saheed Smarak Park, Rana Beni Madhav Baksh Singh Park, and various open plots.

East: To the East, Sai River, waterlogged areas, agricultural land and open land areas are present.

West: To the West, Sai River, waterlogged areas, agricultural land and open land areas are present.

5.2.4 Area covered under circulation- roads, footpaths etc.

A narrow bridge has been provided on the pillars of Sai Bridge by the local authorities for pedestrian movement. In the Prohibited Area, there are no other well-constructed roads except for a metalled road on the Northern end and brick paving at the Southern end of the monument. The NH 24B highway, connecting Raebareli to Allahabad, lies to the East of the Regulated Area.

5.2.5 Existing Heights of building (Zone wise):

North: Buildings of G to G+4 in prohibited and regulated areas, maximum height about 15m (Approx).

South: Buildings of G to G+2 in prohibited and regulated areas, maximum height about 9m (Approx).

East: Agricultural land and open land are situated within prohibited and regulated areas.

West: Agricultural land and open land are situated within prohibited and regulated areas.

5.2.6 State protected monument and listed heritage building by local authorities if Available within Prohibited/Regulated:

There is no State or Protected Monument within the Prohibited and Regulated Area of the Sai Bridge at second mile of the Raebareli and Pratapgarh Road, Raebareli, Uttar Pradesh.

5.2.7 Public amenities:

Facilities like drinking water and toilets are not available on the site of the protected monument. However, a hand pump is present at the northern entry of the monument. Proper signage also do not exist.

5.2.8 Access to monument:

The monument can be accessed by a metalled road on the Northern end and brick paving at the Southern end.

5.2.9 Infrastructure services (water supply, storm water drainage, sewage, solid Waste management, parking etc.):

There are no infrastructure services available at the site of the protected monument. Currently the open area to the North of the monument serves as an informal parking for visitors.

5.2.10 Proposed zoning of the area:

There is no proposed zoning designated for the Raebareli City Municipality area, although the land use is as per **Raebareli Mahayojana - 2021**, prepared by Nagar Evam Gram Niyojan Vibhaag, Uttar Pradesh and Raebareli Vikas Pradhikaran. **(Refer Annexure-IV)**

CHAPTER VI

Architectural, historical and archaeological value of the monuments

6.1 Architectural, historical and archaeological value:

The bridge has great architectural value as it was built on the river Sai meant to connect Raebareli-Dalmau road. The bridge was made of *lakhori* bricks, lime-*surkhi* and other materials. It was built by connecting spans by the true arches. It seems there were at least ten to eleven spans in total but due to collapse of bridge some spans were covered with sand and earth. The pillars of the bridge at plinth level have been provided with dots in order to reinforce the strength of the pillars.[4]

6.2 Sensitivity of the monument (e.g. developmental pressure, urbanization, population Pressure, etc.):

The bridge is not in use for vehicles. A narrow bridge has been provided on the pillars of the Sai Bridge by the local authorities for pedestrians. Besides visitors, bicycle riders also use the monument as a thoroughfare. As, there is increase in population density towards both the Southern and Northern directions, the monument is vulnerable to encroachment, urbanization and development activities.

6.3 Visibility from the protected monument or area and visibility from Regulated Area:

The monument is visible from the prohibited area, except from the Northern side due to the school campus and residences of varying heights ranging from G+1 to G+4. In the regulated area, there are G/G+1 constructions on the South and South-West direction, making the visibility of the monument difficult. It is partially visible from the East side due to the presence of open spaces and an over-bridge.

6.4 Land- use to be identified:

According to the Raebraeli Master Plan-2021, the land use of Sai Bridge at second mile of the Raebareli and Pratapgarh road-Raebareli, Uttar Pradesh, protected, prohibited and regulated areas are designated as Residential, Park and open spaces, Graveyard/Cremation Ground, City forest and Regional Park.

6.5 Archaeological heritage remains other than protected monument:

There are no known archaeological heritage remains as of now in the vicinity of the monument

6.6 Cultural landscapes:

There is no cultural landscape around the monument.

6.7 Significant natural landscapes that forms part of cultural landscape and also helps in protecting monument from environmental pollution:

In the prohibited area, there is a mango orchard in the South and open spaces to the North and South of the protected area. In the regulated area, there is agricultural land on the East.

[4] Archaeological Survey of India (Lucknow Circle)

6.8 Usage of open space and constructions:

The open space around the protected monument are primarily being used for agriculture purpose. The constructions are being used for residences, temples, school and graveyard.

6.9 Traditional, historical and cultural activities:

In the protected, prohibited and regulated areas, there are no traditional, cultural or historical activities. However, temples are situated within the boundaries of the prohibited and regulated areas of the protected monument, where occasional cultural events are organised.

6.10 Skyline as visible from the monument and from regulated areas:

From the monument, the BSS school campus and residences of varying heights ranging from G+1 to G+4 are visible. In the regulated area, there are G/G+1 constructions on the North, South and South-West direction are visible. **(Refer Annexure –IV)**

6.11 Traditional architecture:

The traditional architecture surrounding the monument includes an old Hanuman Garhi and Shani Dev temples, which are said to have been constructed in the 16th century, along with an ashram.

6.12 Developmental plan as available by the local authorities:

The Raebareli City Master Plan 2021 is currently being followed as the Master plan-2031 is still in draft stage. It may be seen at **Annexure-IV**.

6.13 Permissible Building related parameters:

6.13.1 <u>Repair and Renovation (in Prohibited and Regulated area)</u>:

Internal changes and adaptive reuse may be generally permitted. However, external changes shall be subject to detailed scrutiny by the Competent Authority. Such changes which include retrofitting/renovation may be permitted when the building is structurally weak or unsafe or when it has been adversely impacted by any natural calamity and renovation is absolutely necessary. Original building vocabulary and layout along with built-open relationships are to be adhered to. General repair and upkeep of buildings will be permissible, subject to prior permission from the Competent Authority.

The repair and renovation in building/structures should be sympathetic and congruous with the heritage character of the protected monument and its surrounding areas. New cladding materials like Aluminum Composite Panels (ACP), High Pressure Laminates (HPL), laminates, tiling or glazing will not be permitted. Use of locally available building material should be encourage in carrying out repair and renovation works.

6.13.2 Reconstruction:

Reconstruction is defined in Section 2(k) of AMASR Act, 1958. Permission for reconstruction in Regulated Area is accorded as per Section 20 C (2) of the AMASR Act, 1958 and Rule 6(IV) and Rule 7 of The Ancient Monuments and Archaeological Sites & Remains (Framing of Heritage Bye-laws and other functions of the Competent Authority) Rules, 2011. In case of any type of building or structure located in the prohibited or Regulated area of the protected monument or protected area, collapsed or damaged and found beyond repair due to natural calamities, the permission for reconstruction is accorded as per Rule 16 of The Ancient Monuments and Archaeological Sites & Remains (Framing of Heritage Bye-laws and other functions of the Competent Authority) Rules, 2011. The new structure or building as a replacement to the older building in case of reconstruction shall follow the same horizontal and vertical limits as per the pre-existing structure. The use of incongruous materials in the façade such as glazing, metal cladding, Aluminium Composite Panels (ACP), High Pressure Laminates (HPL), tiles, laminates will not be permissible. The new structure should be sympathetic and congruous with the heritage character of the protected monuments and its surrounding area.

6.13.3 New Construction:

6.13.3.A Prohibited Area:

As per Section 20A(4) of AMASR Act, 1958, no new construction including carrying out any public work or project essential to the public or other construction, shall be permitted within the Prohibited Area of the protected monument.

6.13.3.B Regulated Area:

All the development control norms and building regulations specified in the Development authority building construction and development sub method 2008, revised in 2016 (clause 1.1.1, 1.1.2, and 1.2.1) defined under the "Uttar Pradesh Municipal Planning and Development Act – 1973" as and when amended shall be applicable. However, the height and other parameters specified in this document shall be applicable in the Regulated Area of the protected monument.

1. Height of the new construction on the site (including mumty, parapet, water storage tank, machine room, HVAC unit, solar panel, rain water harvesting system, penthouse structures of terrace garden etc.) or any other services on the roof:

The maximum height limit for new construction or additions/alteration to existing buildings shall not exceed **7.5 meters** (including mumty, parapet, water storage tank, machine room, generator room, HVAC unit, solar panel, rainwater harvesting system, penthouse structures of terrace garden etc.) or any other services on the roof.

Construction of the basement may not be permitted to mitigate any adverse impact on the structural, safety of the Protected Monument.

2. Usage:

The current land use as mentioned in the Raebareli City Master Plan 2021 should be retained.

3. Façade design:

The façade design of new construction should be minimalistic in nature, so that it does not overpower the monument and the overall heritage character of the surrounding area. The façade design should be subtle, plastered and painted in earthy colours (white, grey, beige, brown etc.)

4. Roof design:

(i) Only flat roof design in the area should be followed.

(ii) Erection of Structures, even of temporary nature, using materials such as aluminium, fibre glass, polycarbonate or similar materials should be discouraged on the roof of the building.

(iii) All services such as large air conditioning units, rooftop water storage tanks or large generator sets placed on the roof to be screened off using screen walls (brick/cements sheets, louvers, jaalis or other such design elements). All of these services should be included in the maximum permissible height.

5. Building material:

Consistency in building materials and colour along all street façades of the monument may be maintained. Modern building materials such as aluminium cladding, glass bricks and any other synthetic tiles or materials should be discouraged for exterior finishes. Traditional building materials such as brick and stone should be used.

6. Colour:

The exterior colour should be of a neutral tone in harmony with the monument such as buff sandstone colour, beige and other earth colours which do not create a harsh contrast with the monument and its immediate surroundings.

7. Other Regulations:

Proposal for construction of any large-scale public infrastructure project like Metro (underground or overhead), foot-over bridges, flyover, multi-level parking or any such project shall be subject to a detailed Heritage Impact Assessment report.

6.14 Visitor facilities and amenities:

Visitor facilities and amenities such as illumination, clean and functioning toilets, provision of clean drinking water, shade and benches for seating and proper signages and information boards should be considered in the vicinity of the Protected Monument as per feasibility.

CHAPTER VII

Site Specific Recommendations

7.1 Site Specific Recommendations:

i. No advertisements in the form of hoardings, bill-boards and posters should be permitted near the Protected Monument, especially on the boundaries of the monuments.

ii. Site may also have descriptive plaques based on authentic historical narrative.

iii. Use of Eco-Friendly vehicles for movement in the vicinity of the protected monument may be encouraged to mitigate adverse impact on the monument due to vehicular emissions and vibrations.

iv. Construction of green buildings including best practices like rain water harvesting should be encouraged.

v. All signages within the historic precinct should be compatible and harmonious with the special character of the Protected Monument and its immediate surroundings.

vi. LED or digital signs, plastic fibre glass or any other highly reflective synthetic material should not be used for signages in the vicinity of the protected monument or its immediate surrounding areas.

7.2 Other recommendations:

i. Extensive publicity programmes may be conducted to increase public awareness about the historical and architectural significance of the Monument.

ii. The master plan may show all monuments of national importance, prohibited and regulated areas.

iii. Provisions for differently abled persons should be provided as per prescribed standards.

iv. The area should be declared as Plastic and Polythene free zone.

v. National Disaster Management Guidelines for Cultural Heritage Sites and Precincts may be referred at https://nidm.gov.in/PDF/pubs/NDMA/20.pdf

अनुलग्नक
ANNEXURES

अनुलग्नक- I
ANNEXURE-I

रायबरेली और प्रतापगढ़ रोड के दूसरे मील पर स्थित सईं पुल, जिला- रायबरेली, उत्तर प्रदेश की सर्वेक्षण योजना

Survey Plan of Sai Bridge at second mile of the Raebareli and Pratapgarh road- District-Raebareli, Uttar Pradesh

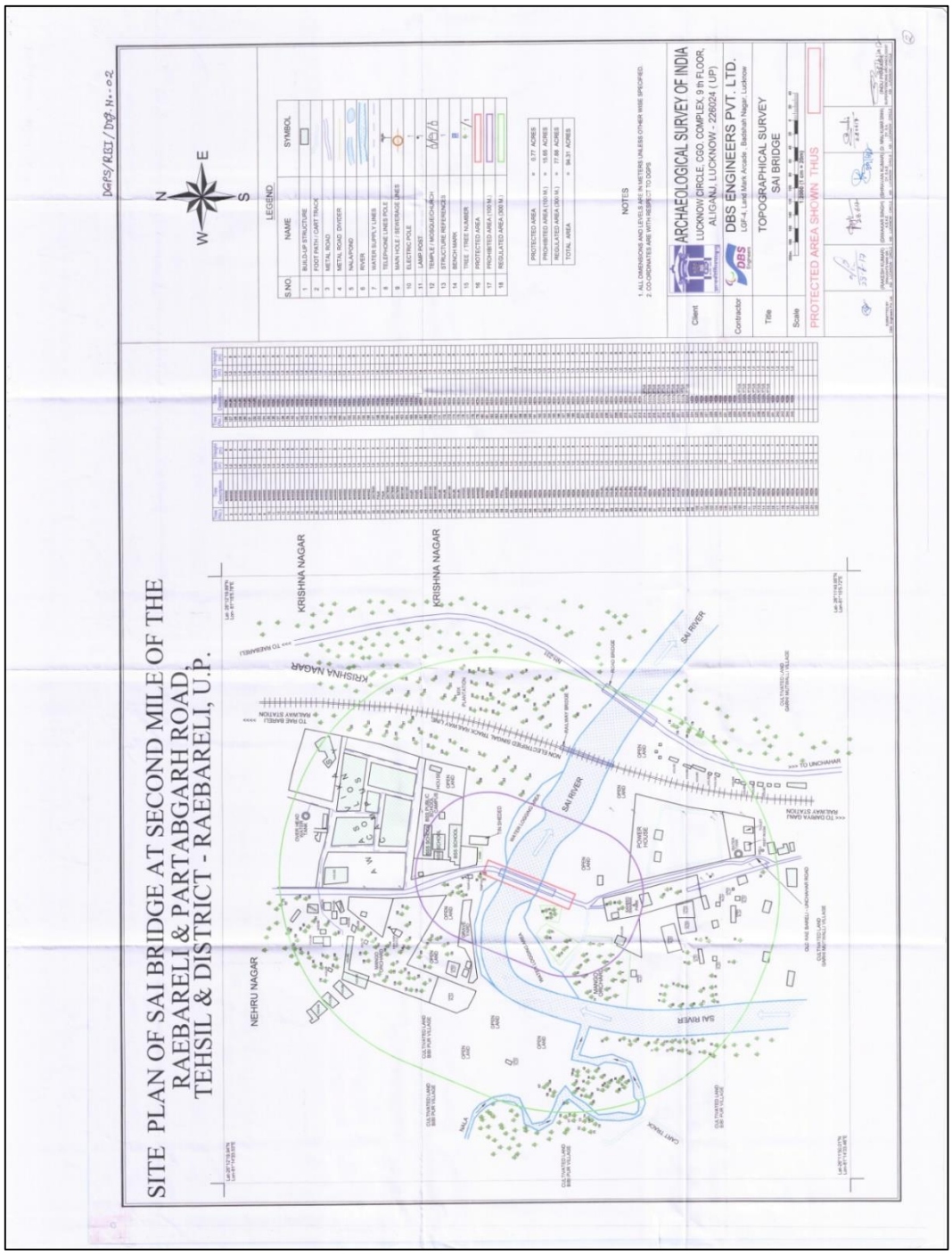

अनुलग्नक- II
ANNEXURE-II

रायबरेली और प्रतापगढ़ रोड के दूसरे मील पर स्थित सईं पुल, जिला- रायबरेली, उत्तर प्रदेश की अधिसूचना
Notification of Sai Bridge at second mile of the Raebareli and Pratapgarh road-District-Raebareli, Uttar Pradesh

F-20 27/12/1920

Eratum

Department
Roads Branch

Please read 159(a) for 160, 1
serial numbers accordingly.

Allahabad, the 27th December, 1920.

In exercise of the powers conferred by section 3, sub-section (3) of the Ancient-Monuments Preservation Act, (VII of 1904), His Honour the Lieutenant-Governor is hereby pleased to confirm this department notification no. 1463M/1932, dated 25.12.1920, published at pages 1911-1924 of part I of the United Provinces Gazette, dated the 27th November, 1920, relating to the undermentioned monuments.

Sl. No.	Name of Monuments	Situation.					Remarks.
		District.	Locality.	Village.	Tahsil.	Pargana.	
5.	+Memorial tomb.	Hardoi	..	Khasaura	Bilgram	..	+Contains the remains of certain children of the Collectors Messrs. Edward and Probyn who died in 1857.
6.	**Major Roberts' Tomb.	Do.	Baramau	Baramau	..	..	**Contains the remains of Major Roberts killed in action in 1857
1.	Baoli (Barr Kunwan)	Rai Bareli	Near the Town Hall.	Rae Bareli Town	Rae-Bareli.	Rea Bareli.	
2.	Fort Gate	Do.	Inside the Fort Gate.	Ditto.	Ditto.	Ditto.	
3.	Sai Bridge	..	Second mile of the Rae Bareli and Partabgarh road	..	..	..	
1.	Large masonry Tank called Haredwara Tirtha.	Sitapur.	Thirteen miles south of Sitapur Tahsil.	Machh-rehua.	Misrikh.	..	
1.	Open Cemetery	Unao	At Unao	..	..	..	
2.	Closed Cemeteries at Kusehri.	Do.	At Kusehri	Mohan	..	..	

Typed Copy of Original Notification

Department Roads Branch

Allahabad, the 27th December, 1920

In exercise of the powers conferred by section 3, sub-section (3) of the Ancient Monuments Preservation Act (VII of 1904). His Honour the Lieutenant-Governor is hereby pleased to confirm this department notification no. 1465M/1133, dated 25.12.1920 published at pages 1911-1924 of Part-I of the United Provinces Gazette, dated the 27th November, 1920, relating to the under mentioned monuments.

	Situation.						
Sr. No.	Name of Monument.	District.	Locality.	Village.	Tehsil.	Pargana.	
5.	+Memorial tomb.	Hardoi.	-	Kausaura	Bilgram	-	+Contains the remains of certain children of the Collectors Messrs, Ed-ward and Prchyn who died in 1857.
6.	**Major Roberts Tomb.	Do.	Baramau.	Baramau.	-	-	**Contains the remains of Major Roberts killed in action 1857.
1.	Bauli (Barr Kanwan).	Rai Bareli.	Near the Town Hall.	Rai Bareli Town.	Rai Bareli.	Rai Bareli .	
2.	Fort Gate.	Do.	Inside the Fort Gate.	Ditto.	Ditto.	Ditto.	
3.	Sai Bridge	-	Second Mile of the Rai Bareli and Partabgarh road.	-	-	-	
1.	Large mascnry Tank called Hardware Tirtha.	Sitapur,	Thirteen miles south of Sitapur Tehsil.	Machh-rehta.	Misrikh.	-	
1.	Open Cemetery.	Unao.	At Unao.	-	-	-	
2.	Closed Cemeteries of Kausehri.	Do.	At Kusehri.	Mohan.	-	-	

अनुलग्नक- III
ANNEXURE-III

रायबरेली और प्रतापगढ़ रोड के दूसरे मील पर स्थित सईं पुल, जिला- रायबरेली, उत्तर प्रदेश का अभिलेखीय मानचित्र

Archival Map Showing Sai Bridge at second mile of the Raebareli and Pratapgarh road- District-Raebareli, Uttar Pradesh

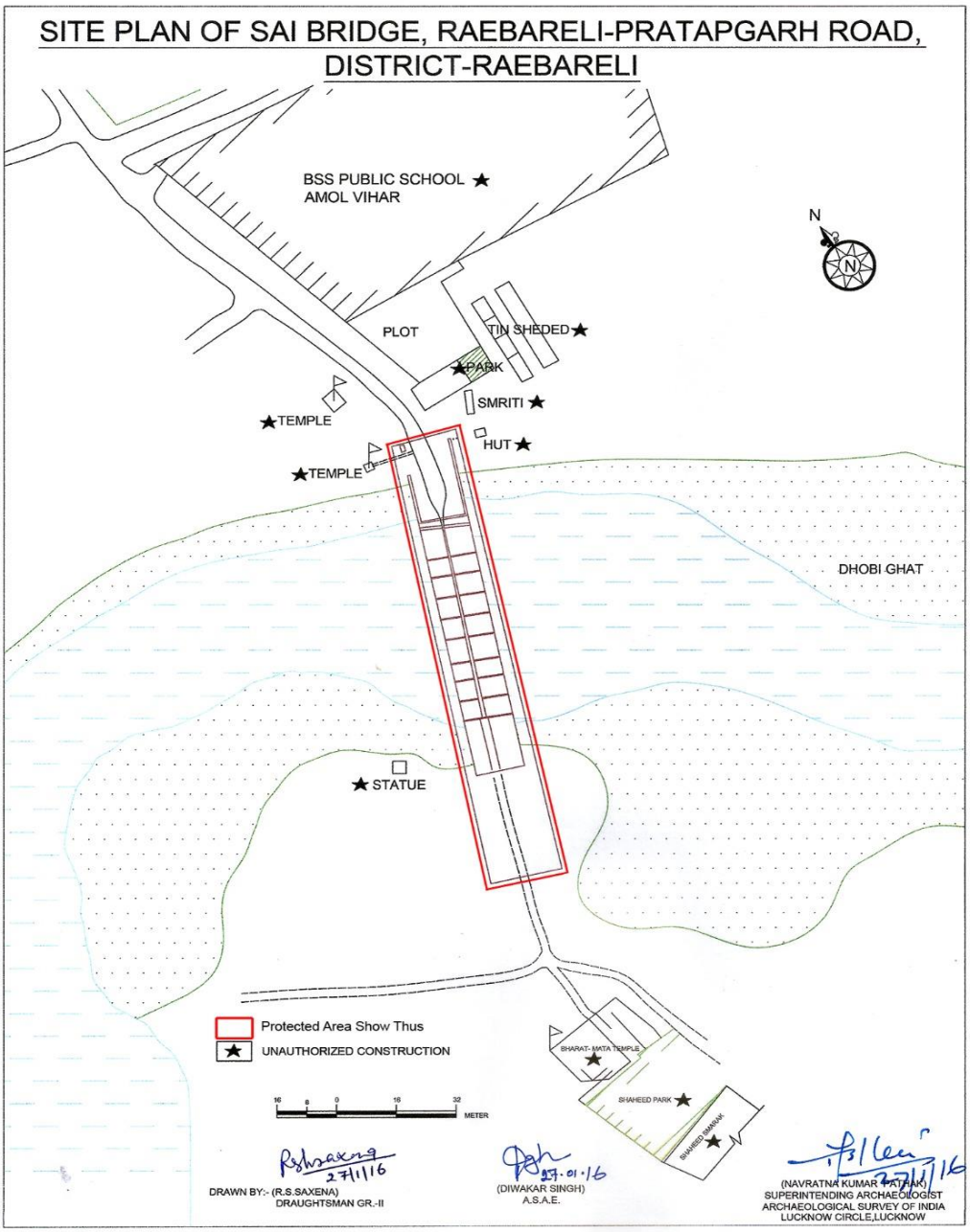

अनुलग्नक- IV
ANNEXURE-IV

रायबरेली मास्टर प्लान 2021
Raebareli Master Plan 2021

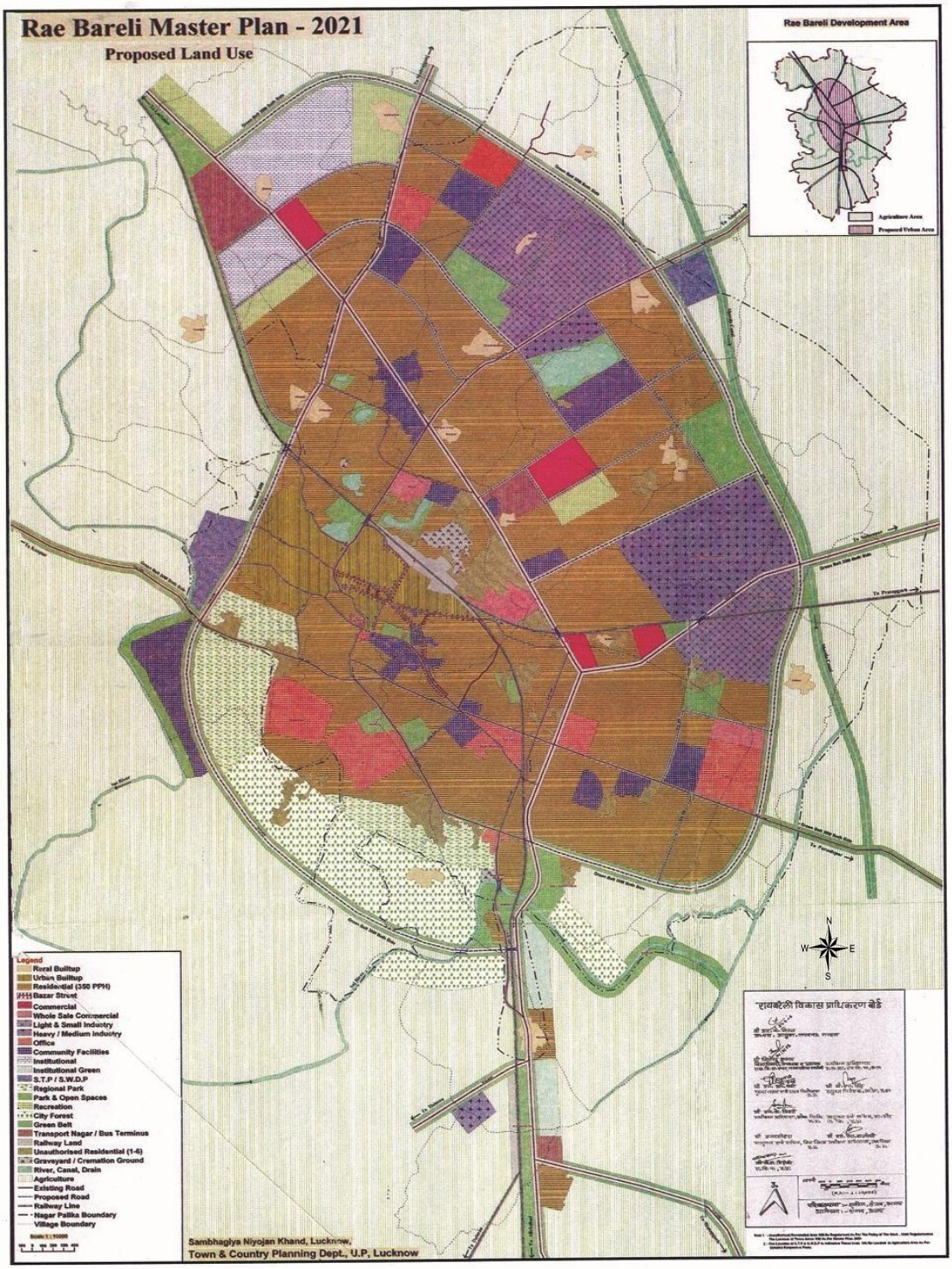

अनुलग्नक- V
ANNEXURE-V

संस्मारक और उसके आसपास के क्षेत्र के चित्र
Images of the Monument and its Surroundings

चित्र-1: सई पुल का दृश्य
Image 1: View of Sai Bridge

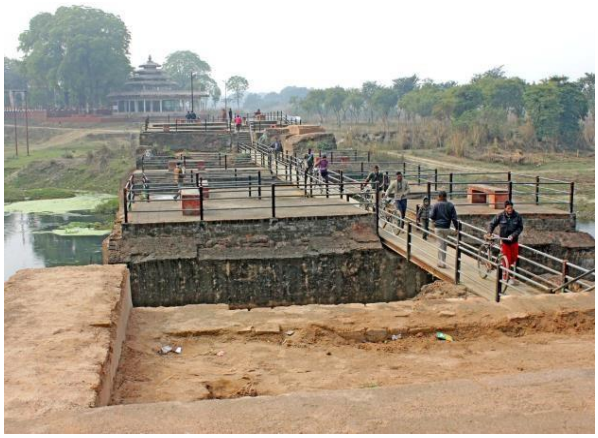

चित्र 2: पुराने पुल पर बना संकरा पुल
Image 2: Narrow bridge on the pillars of Old

चित्र-3: सई पुल
Image 3: Sai Bridge

चित्र-4: जल भराव क्षेत्र के साथ धोबी घाट
Image 4: DhobhiGhat along with water logged area

चित्र-5: पुराने पुल से सई पुल का दृश्य
Image 5: View of Sai River from the old bridge

चित्र-6: पुरानी हनुमान गढ़ी और शनि देव का मंदिर
Image 6: Old Hanuman Garhi and Shani Dev Temple

चित्र-7: सईपुल से रेल्वे ब्रिज का दृश्य
Image 7: View of Railway Bridge from Sai Bridge

चित्र-8: आवास विकास कॉलोनी' का दृश्य
Image 8: View of Awas Vikas Colony

चित्र-9: भारत माता मंदिर से सई पुल का दृश्य
Image 9: View of Sai Bridge from Bharat Mata Mandir